NEW ERA AGRICULTURE MAGAZINE

दहेज : एक अभिशाप

डॉ सुमेधा चौधरी

भूमिका:

भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक गहरी जड़ें जमाए हुई सामाजिक कुरीति है, जो न केवल महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे समाज को भी विकृत करती है। यह कुप्रथा न केवल आर्थिक शोषण को बढ़ावा देती है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान, गरिमा और जीवन की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करती है। दहेज प्रथा को सामाजिक अभिशाप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह कई परिवारों को बर्बाद कर चुकी है और अनेक बेटियों की बलि ले चुकी है।

दहेज प्रथा का अर्थ और इतिहास

दहेज का अर्थ है विवाह के समय वर पक्ष को कन्या पक्ष द्वारा दिया जाने वाला धन, संपत्ति, गहने, वाहन, भूमि आदि। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन पहले इसका स्वरूप सकारात्मक था। प्राचीन भारत में इसे "स्त्रीधन" कहा जाता था, जो महिला की आर्थिक सुरक्षा के लिए दिया जाता था। लेकिन कालांतर में यह प्रथा लालच और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई और वर पक्ष द्वारा इसे एक अनिवार्य शर्त बना दिया गया।

मध्यकालीन भारत में दहेज का स्वरूप और भी विकृत हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान संपत्ति से जुड़े कानूनों ने महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया, जिससे यह समस्या और गहरी होती चली गई। आज आधुनिक युग में भी, जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिखर पर पहुंच चुके हैं, तब भी दहेज प्रथा समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

दहेज प्रथा के दुष्परिणाम

1. महिलाओं के प्रति हिंसा और हत्या

दहेज के कारण भारत में हर साल हजारों महिलाएं शारीरिक और मानसिक यातनाओं का शिकार होती हैं। कुछ मामलों में, यदि दहेज की मांग पूरी नहीं होती है, तो बहुओं को जलाकर मार दिया जाता है या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है।

2. महिलाओं की आत्मनिर्भरता में बाधा

दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को बोझ समझा जाता है। कई माता-पिता अपनी बेटियों की शिक्षा पर खर्च करने के बजाय उनके विवाह के लिए पैसे बचाने में लग जाते हैं। इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. कन्या भ्रूण हत्या

दहेज प्रथा का एक गंभीर प्रभाव कन्या भ्रूण हत्या के रूप में देखा जाता है। गरीब परिवारों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, जिससे कई लोग जन्म से पहले ही कन्या भ्रूण की हत्या कर देते हैं। यह समाज में लिंगानुपात को बिगाड़ रहा है, जिससे कई अन्य सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

4. गरीब परिवारों की आर्थिक बदहाली

दहेज की बढ़ती मांग के कारण गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है। कई माता-पिता बेटी की शादी के लिए कर्ज लेते हैं, जिसे चुकाने में पूरी जिंदगी

डॉ सुमेधा चौधरी
सामुदायिक विज्ञान विभाग
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर

निकल जाती है। कई बार कर्ज न चुका पाने के कारण लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।

दहेज प्रथा रोकने के लिए कानून और सरकार के प्रयास

भारत सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं। 1961 में "दहेज निषेध अधिनियम" (Dowry Prohibition Act) पारित किया गया, जिसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध घोषित किए गए। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत दहेज प्रताड़ना के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, कानून होने के बावजूद दहेज प्रथा अभी भी समाज में व्याप्त है। कई लोग इसे चोरी-छिपे अपनाते हैं और सामाजिक दबाव के कारण लोग खुलकर इसका विरोध नहीं कर पाते।

समाज में जागरूकता की आवश्यकता

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं—

1. **शिक्षा का प्रचार-प्रसार:** महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने से वे दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं।
2. **सख्त कानूनों का पालन:** सरकार को दहेज लेने और देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
3. **सामाजिक सोच में बदलाव**: समाज को यह समझना होगा कि बेटियाँ बोझ नहीं हैं, बल्कि वे भी परिवार और समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं।
4. **नवयुवकों की भूमिका:** युवाओं को इस प्रथा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और बिना दहेज शादी करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए।

निष्कर्ष

दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप है, जो महिलाओं के जीवन को नष्ट कर रही है और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रही है। इसे रोकने के लिए कानूनों के साथ-साथ सामाजिक चेतना और जागरूकता की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी एक समानता और सम्मान पर आधारित समाज का निर्माण संभव होगा। जब समाज यह समझ जाएगा कि एक बेटी का जन्म किसी अभिशाप से कम नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है, तब ही दहेज प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो पाएगी।

NEW ERA AGRICULTURE MAGAZINE